माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/ प्र0क्रं0 1506

शंकर पिता श्री रामदयाल
जाति गौड़ आदिवासी,
निवासी ग्राम मुरहारी, तह0 गौहरगंज,
जिला रायसेन (म0प्र0) ——— **आवेदक**

विरूद्ध

म.प्र. शासन ——— **अनावेदक**

अभिभावक श्री..... द्वारा आज दिनांक 23/2/18 को पेश।

अभिभाषक

पुर्नरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल में प्र.क्रं. 147/अपील/16–17 में पारित आदेश दि.30.01.2018 से असंतुष्ट होकर पुर्नरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1506

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । प्रथम दृष्टया जिस भूमि की आवेदक विक्रय की अनुमति चाही गई है, वह भूमि बैंक में बन्धक है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा अनुमति नहीं देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	